निगरानी / 1146 / 2003 / एल.आर / सीकर

नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री सूरज भान जैमन, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री आत्माराम शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण निर्णय दिनांक 14–9–2018 यह अपील अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 25.2.2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील के संक्षिप्त तथ्यो अनुसार कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 947 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार काश्तकार निगरानीकर्ता के स्व0 पिता राव बक्सू सिंह पुत्र रावलाल सिंह राजपूत था। अतिरिक्त नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की विवादित आराजी को आरटीए की धारा 19के तहत जरिये नामा0 145 दिनांक 6–6–62 के द्वारा अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करदी। जिसका ज्ञान होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दिनांक 30–9–82 को बक्सूसिंह बनाम मूला पेश की जो अतिरिक्त कलक्टर सीकर को हस्तान्तरित करदी गयी जिसका नंबर 125 / 95 था। जिनके द्वारा अपील दिनांक 4–9–98 को खारिज करदी। दौराने विचारण प्रथम अपील प्रार्थीगण के पिता बक्सू का एवं अप्रार्थीगण के पिता मूला का देहान्त हो जाने पर प्रार्थीगण राव बक्सू सिंह के पुत्र व पुत्रियॉ है तथा अप्रार्थीगण मूला के पुत्र व पुत्रियॉ है। विद्वान एडीएम सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 4–8–98 द्वारा प्रार्थीगण की अपील खारिज करदी। जिसके निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील संख्या 37 / 98 पेश की जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–11–99 को अतिरिक्त	

निगरानी/1146/2003/एल.आर/सीकर
नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 6–6–62 को क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए अपील स्वीकार करली।उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष एक निगरानी संख्या 187/99/एलआर सीकर पेश की जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7–5–02 द्वारा विद्वान एडीएम सीकर को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड कर दिया कि एडीएम नोटिफिकेशन दिनांक 25–9–56 को देखते हुए अपना निर्णय पुनः पारित करे,एडीएम सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 25–10–02 के द्वारा प्रार्थीगण की अपील स्वीकार करली। जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने अपने निर्णय दिनांक 25–2–03 द्वारा अप्रार्थीगण की अपील स्वीकर करली जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि नायब तहसीलदार नीमकाथाना की आज्ञा दिनांक 6–6–62 बावत पारित नामा0 संख्या 145 प्रारम्भतः ही शून्य व क्षेत्राधिकार विहिन आदेश हैं क्षेत्राधिकार विहीन आदेशों के विरुद्ध मियाद का प्रश्न उत्पन्न नही होता है। धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार को अविवादित नामा0तस्दीक करने का ही अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के मामले में धारा 135 के तहत नही आता है। विद्वान अतिरिकत संभागीय आयुक्त जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या एफ–1(236) रेव./डी./56/ दिनांक 25–9–56 को कतई गलत अर्थों में समझा है व उक्त नोटिफिकेशन का गलत अर्थ लगाया है। उक्त नोटिफिकेशन में तहसीलदार व नायब तहसीलदार को किसी भी प्रकार कोई अधिकार राजस्थान	

निगरानी / 1146 / 2003 / एल.आर / सीकर
नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत नही दिये गये हैं। जबकि धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सहायक जिलाधीश को ही है। ऐसी स्थिति में विद्वान संभागीय आयुक्त जयपुर ने प्रार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर स्वीकार करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थीगण के पिता ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष विवादित आराजी वाबत वाद उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष हमारे विरुद्ध पेश किया था जो अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित हुआ है और उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश होने पर उनके निर्णय दिनांक 13–7–78 के द्वारा खारिज करदी गयी है जो अन्तिम आदेश है। चूँकि नामा0 सम्बन्धी संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर कतई ध्यान नही देकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपील खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–03 व नायबत तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–62 को निरस्त करने का निवेदन किया। अपने पक्ष के समर्थन में वकील प्रार्थीगण की ओर से आरआरडी 1997 पेज 184, आरआरडी 1976 पेज 383, आरआरडी 1998 पेज 319, आरबीजे 1999 पेज 356, आरआरडी 1994 पेज 129, आरआरडी 1994 पेज 130, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरडी 1965 पेज 119 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। 5– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर की गयी बहस पर मनन किया, प्रस्तुत कानूनीनजीरों का ध्यान पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया ।	

निगरानी/1146/2003/एल.आर/सीकर
नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना में स्थित आराजी खसरा नंबर 947 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार काश्तकार निगरानीकर्ता के स्व0 पिता राव बक्सू सिंह पुत्र रावलाल सिंह राजपूत था। अतिरिक्त नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की विवादित आराजी को आरटीए की धारा 19 के तहत जरिये नामा0145 दिनांक 6—6—62 करने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष दिनांक 30—9—82 को बक्सूसिंह बनाम मूला पेश की गयी बाद में अतिरिक्त कलक्टर सीकर को हस्तान्तरित होने पर उनके समक्ष विचाराधीन अपील दिनांक 4—9—1998 को खारिज करदी। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील संख्या 37/98 पेश की जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17—11—99 को अतिरिक्त नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 6—6—62 को क्षेत्राधिकार बाहर मानते हुए स्वीकार करली।उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष एक निगरानी संख्या 187/99/एलआर सीकर पेश की जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 7—5—02 द्वारा विद्वान एडीएम सीकर को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड कर दिया कि एडीएम नोटिफिकेशन दिनांक 25—9—56 को देखते हुए अपना निर्णय पुनः पारित करे।,एडीएम सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 25—10—02 के द्वारा प्रार्थीगण की अपील स्वीकार करली। जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होने अपने निर्णय दिनांक 25—2—03 द्वारा अप्रार्थीगण की अपील स्वीकर किया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना की आज्ञा दिनांक 6—6—62 बावत पारित नामा0 संख्या 145 प्रारम्भतः ही शून्य व क्षेत्राधिकार	

निगरानी / 1146 / 2003 / एल.आर / सीकर
नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विहिन आदेश हैं क्षेत्राधिकार विहीन आदेशों के विरुद्ध मियाद का प्रश्न उत्पन्न नही हेाता है। धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार को अविवादित नामा0तस्दीक करने का ही अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के मामले में धारा 135 के तहत नही आता है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने नोटिफिकेशन संख्या एफ–1(236) रेव. / डी / 56 दिनांक 25–9–56 को कतई गलत अर्थ लगाकर निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है।चूँकि उक्त नोटिफिकेशन में तहसीलदार व नायब तहसीलदार को किसी भी प्रकार कोई अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत नही दिये गये हैं। धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद सहायक जिलाधीश को ही है। जिससे विद्वान संभागीय आयुक्त जयपुर ने प्रार्थीगण की अपील को मियाद बाहर मानकर स्वीकार करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता अप्रार्थीगण के पिता ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष विवादित आराजी बाबत वाद उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थीगण के पिता बक्सूसिंह के विरुद्ध पेश किया था जो अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित हो दिनांक 15–12–69 को खारिज हो गया और उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश होने पर उनके निर्णय दिनांक 13–7–78 के द्वारा अपील खारिज की गयी है जो अन्तिम आदेश है। 7– चूँकि नामा0 सम्बन्धी संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर कतई ध्यान नही देकर विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपील स्वीकार करने कानूनी त्रुटि की है। प्रार्थी के वकील की ओरसे प्रस्तुत कानूनी नजीरों के अध्ययन करने	

निगरानी / 1146 / 2003 / एल.आर / सीकर
नरेन्द्र सिंह बनाम कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर स्पष्ट होता है कि उक्त कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण में वखूबी चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्राकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25—2—03 एव नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—6—62 निरस्त किये जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर दालिख दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	